पत्रांक— 295/सो० आ० सि०-3/507/2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा),
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

दिनांक— 01 सितम्बर, 2020

विषयः— कोविड—19 महामारी अवधि में महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुसचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं0 M-11015/03/2020-RE-III(371554) दिनांक 15—07—2020 द्वारा समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रेषण किया गया है, जिसके क्रम में निम्नांकित कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः—

1— समवर्ती सोशल आडिट के अन्तर्गत सोशल आडिट यूनिट द्वारा सभी कार्यों की प्रत्येक माह सोशल आडिट की जाएगी।

2— राज्यों की सोशल आडिट यूनिट द्वारा समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को कैलेण्डर प्रेषित किया जाएगा। कैलेण्डर की एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

3— समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने हेतु सोशल आडिट रिसोर्स पर्सन्स द्वारा, कराए गए कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि का परीक्षण सप्ताह के निर्धारित दिवस को किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यकतानुसार अभिलेखों की प्रतियॉ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

4— समवर्ती सोशल आडिट, रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में की जाएगी।

5— रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें समवर्ती सोशल आडिट के मानको के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

6— रिसोर्स पर्सन्स द्वारा ग्राम पंचायत के सभी निर्माणाधीन कार्यों की समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी तथा देखा जाएगा कि मानक के अनुसार अभिलेखों का रख रखाव एवं निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

7— रिसोर्स पर्सन्स द्वारा यह भी देखा जाएगा कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली धनराशि अधिनियम के अनुसार उन्हें मिल रही है या नहीं।

8— रिसोर्स पर्सन्स द्वारा अपनी रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी।

<u>समवर्ती सोशल आडिट के समय कोविड–19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जाना</u>

1– समवर्ती सोशल आडिट के लिए समुदाय से सम्पर्क के समय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

2– समवर्ती सोशल आडिट के समय प्रशासन/विभाग/प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों का शत्–प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य है।

3– भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय अथवा प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/एडवाईजारी का पूर्णत्या पालन किया जाना अनिवार्य है।

4– समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त नियमों व निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, किसी भी परिस्थिति में प्रदेश शासन द्वारा महामारी के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अतिक्रमण न किया जाए।

<u>रिर्पोटिंग</u>

1– समवर्ती सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन को नियमित सोशल आडिट की तरह ही रिपोर्ट किया जाएगा।

कृपया सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 से कैलेण्डर निर्गत होने के उपरान्त समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने के सम्बन्ध में समय–समय पर अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत कर आडिट प्रक्रिया पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(signature) 18.8.20

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक– 295/सो0आ0नि0-3/507/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, दी0द0उपा0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ, उ0प्र0।

2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

3– अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

4– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

6– समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

7– समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ0प्र0।

(योगेश कुमार)

निदेशक,

सोशल आडिट, उ0प्र0